दिनांक–03.07.2019 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार भवन उपविधि, 2014 की उपविधि–22 (नदी के सामने की भूमि के निकट निर्माण) के प्रावधानों में संशोधन पर विचारण से सम्बन्धित बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति –

1. अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार,
2. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार,
3. प्रधान सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार,
4. सचिव, विधि विभाग, बिहार,
5. सचिव, राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, बिहार,
6. अभियन्ता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार,
7. वरीय वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार

बैठक में बिहार भवन उपविधि, 2014 की **उपविधि–22 (नदी के सामने की भूमि के निकट निर्माण)** के प्रावधानों में संशोधन पर विचारण के क्रम में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा उपविधि–22 (नदी के सामने की भूमि के निकट निर्माण) के वर्त्तमान प्रावधानों तथा इसके संशोधन हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार से प्राप्त मंतव्य से अवगत कराया गया। इस क्रम में प्रधान सचिव के द्वारा **माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (N.G.T)** द्वारा O.A. No.-200/2014 एवं अन्य में दिनांक–14.05.2019 तथा दिनांक–29.05.2019 को पारित आदेश तथा इसमें संदर्भित **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार** द्वारा दिनांक–07.10.2016 को अधिसूचित (अधिसूचना संख्या–2458) S.O.-3187(E) के सम्बन्धित अंशो से अवगत कराया गया एवं इससे सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण किया गया।

(1). (i) **बिहार भवन उपविधि, 2014 के उपविधि–22** (नदी के सामने की भूमि के निकट निर्माण) के वर्त्तमान प्रावधान एवं जल संसाधन विभाग, बिहार से प्रस्तावित संशोधन हेतु मंतव्य निम्न है –

Bihar Building Bye-laws, 2014 (Byelaws-22)	**Proposed Modification**
22. Construction near river front - (1) No construction or re-construction of any building, **within a strip of land of 200 metres,** or such other higher distance may be prescribed from time to time by the State Government, **from the outer boundary of the river Ganges (as prescribed by the Irrigation Department),** shall be permitted except for repair and renovation work of heritage buildings.	22. Construction near river front - (1) (i) No construction or re-construction of any building, **within a strip of land of 30 metres in country side of the Patna Town Protection wall** along the river Ganges shall be permitted except for repair and renovation work of heritage buildings. (ii) No construction or re-construction of any building, **within a strip of land of 50 meter in country side from the toe of the embankment made** along the river Ganges shall be permitted except for repair and renovation work of heritage buildings. (iii) No construction or re-construction of any building, **within a strip of land of 200 meters from the maximum oscillated edge of Ganges** shall be permitted except for repair and renovation work of heritage buildings.
(2) In case of **rivers other than Ganges,** no construction or re-construction of any buildings shall be allowed, **within a strip of land of 100 metres,** or such distances as prescribed by the	In case of **rivers other than the Ganges**, no construction or re-construction of any building shall be allowed, **within a strip of land of 100metres, from the maximum oscillated edge**

State Government , from the outer boundary of the riverfront of any river (as prescribed by Irrigation Department). The State Government shall notify a list of such rivers.	**of the river** shall be permitted except for repair and renovation work of heritage buildings.
(3) **No construction shall be allowed within the boundary of the river.**	As it is
(4) Notwithstanding the above provision, any Planning Authority or Government Body shall be able to undertake development and beautification work of riverfront, ghats or any other planned development on reclaimed lands with the approval of the Government.	As it is

(ii) प्रस्तुतीकरण के क्रम में **माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (N.G.T)** द्वारा O.A. No.-200/2014 एवं अन्य में दिनांक–29.05.2019 को पारित आदेश का सार निम्न है :–

(A) Flood plains were required to be identified and demarcated with **restrictions against any development and construction within 100 meters from the edge of river** and identification of no development/ construction zone, regulatory zone, etc.

(B) With regards to flood plains, **it was clarified that distance for no construction zone is to be measured from Highest Flood Line (HFL) at least in the last 25 years.** Such flood plains may be identified with longitude and latitude and no activity may be allowed there in except raising of plantations and setting up of bio-diversity parks.

(C) दिनांक–29.05.2019 को पारित आदेश की कंडिका–12 में उल्लेखित "We also find that River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authority Order, 2016 has been issued by the Central Government which lays elaborate mechanism to deal with the matter and conferring wide regulatory powers. The authorities may proceed in accordance with the said statutory order. NMCG may compile information about the steps taken under the said order." के आलोक में **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार** द्वारा अधिसूचित S.O.-3187(E), दिनांक–07.10.2016 के प्रावधानों पर विचार विमर्श किया गया।

(iii) **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के अन्तर्गत **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार** द्वारा अधिसूचित S.O.-3187(E), दिनांक–07.10.2016 में परिभाषित "Flood Plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods correspondingto its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years. तथा कंडिका–6(3) में प्रावधानित No person shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of river Ganga or its tributaries or active **flood plain** area of river Ganga or its tributaries."

(2). उपरोक्त बिन्दुओं पर विचारण के क्रम में निर्णय लिया गया कि निम्न कारणों से बिहार का Unique Situation है। वर्णित अधिसूचना के संदर्भ में भारत सरकार से Reference करने की आवश्यकता है –

(i). उत्तरी बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में गंगा की उपनदियों में नेपाल की ओर से हिमालय के ऊँची श्रृंखला से कभी–कभी काफी मात्रा में पानी आता है एवं नदियों में Siltation की वजह से नदी से Spillover होता है जिससे काफी बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है। Water Level कम होने पर यह स्वतः समाप्त हो जाता है। इसे Flood Plain Area कहना उचित नहीं होगा।

(ii). चूँकि कुछ अवधि के लिए उत्तरी बिहार में बाढ़ से अधिकांश भाग प्रभावित होता है। अतः भारत सरकार की इस अधिसूचना में परिभाषित एवं प्रावधानित के आलोक में करीब पूरे उत्तर बिहार में कभी कोई निर्माण नहीं हो पाएगा।

(iii). गंगा नदी के किनारे सटे हुए बहुत प्राचीन एवं ऐतिहासिक शहर अवस्थित हैं, जैसे–बक्सर, पटना (पाटलीपुत्र/पटना सिटी, जिसका उल्लेख मौर्यकालीन अर्थशास्त्र में किया गया है) मुंगेर, भागलपुर (विक्रमशिला) आदि। इन शहरों में लोग पूर्व से गंगा तट के किनारे निजी जमीन पर निर्मित भवनों में रह रहें हैं, जिसका Redevelopment / Reconstruction उन्हें करते रहना पड़ता है और ऐसा आगे करना अपरिहार्य भी हो सकता है। इन शहरों में गंगा नदी के किनारे पूर्व से अवस्थित भवनों के Redevelopment / Reconstruction पर प्रभावी प्रतिबंध युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

(iv). राज्य में गंगा नदी एवं इसकी उपनदियों के दियारा क्षेत्रों तथा पटना सुरक्षा बाँध के भीतर पुराने गाँव पूर्व से अवस्थित हैं, जिनका विस्थापन संभव नहीं है।

(3). उपरोक्त के आलोक में यह निर्णय हुआ कि गंगा एवं इसकी उपनदियों के Characteristic की वजह से बिहार के Unique Situation को ध्यान में रखते हुए **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार** की वर्णित अधिसूचना के कतिपय बिन्दुओं में वांछित संशोधन हेतु सम्बन्धित विभागों, विशेषकर **जल संसाधन विभाग, बिहार** के द्वारा Detailed Note नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। इन विभागों से प्रतिवेदन/मंतव्य की प्राप्ति के उपरान्त अधिसूचना में वांछित संशोधन तथा इस आशय से सम्बन्धित राज्य का पक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (N.G.T) में रखने हेतु भारत सरकार से पत्र व्यवहार, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर किए जाने का निर्णय लिया गया।

(4). **उपविधि–22** (नदी के सामने की भूमि के निकट निर्माण) में संशोधन को स्थगित रखते हुए बिहार भवन उपविधि, 2014 में संशोधन के शेष बिन्दुओं पर सरकार की सहमति प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

4/7/2019

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

9/7

मुख्य सचिव,
बिहार।

ज्ञापांक–11/न०वि० भ०उ०वि० संशोधन–06/2018 (पार्ट) 898 न०वि० एवं आ०वि०, पटना दिनांक– 11/7/19

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.7.19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–03.07.2019 को अपराह्न 04:00 बजे उनके अनुश्रवण कोषांग में बिहार भवन उपविधि, 2014 के उपविधि–22 के प्रावधानों में संशोधन पर विचारण से सम्बन्धित बैठक की उपस्थिति –

(89)

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	मो०नं० एवं Email Id	हस्ताक्षर
(01)	अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।		[signature]
(02)	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।		[signature] 3/7/2019
(03)	प्रधान सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना।		[signature] 3/7/19
(04)	प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। E-in-C Build.		[signature] 3/7/19
(05)	सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना।		[signature] 3/7/19
(06)	सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, बिहार, पटना।		[signature] 3/7/19
(07)	नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना।		
(08)	श्री हरिशंकर सिंह, T C P O नगर विकास एवं आवास विभाग		[signature] 3/7/19
(09)	श्री कुमार सर्वानन्द, T C P O नगर विकास एवं आवास विभाग		[signature] 3.7.19
(10)	श्री प्रत्युष कुमार, रिसर्च एसोसिएट, बिहार विकास मिशन नगर विकास एवं आवास विभाग।		Pratyush Kumar 3/7/19

1 श्रीकान्त प्रसाद (वरीय वास्तुविद्) BCD [signature] 03.07.19

D²